संख्या- 1690 /III(2)/20-12(एम.एल.ए.)/2017TC

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 08 सितम्बर ~~अगस्त~~, 2020

विषयः– **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र– प्रतापनगर में बिसातली–कठुली मोटर मार्ग के डामरीकरण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-2751/III(2)-12(एम.एल.ए.)/2017 टी.सी. दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 द्वारा लम्बाई 5.15 किमी. तथा लागत ₹ 340.74 लाख की प्रदान की गई है।

2. उक्तानुसार प्रदत्त स्वीकृति के सापेक्ष इस मध्य श्रम, सामग्री की दरों में वृद्धि व जी.एस.टी. लागू होने के कारण पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 340.74 लाख में सम्पूर्ण लम्बाई में कार्य पूर्ण न हो पाने के फलस्वरूप तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., नई टिहरी द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन का परीक्षण शासन स्तर पर किये जाने पर तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी सम्पूर्ण लागत **₹399.48** लाख **(₹58.74** लाख अतिरिक्त लागत**+₹340.74** लाख पूर्व स्वीकृत लागत] की प्रशासकीय एवं वित्तीय पुनरीक्षित स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश संख्या-2751/III(2)-12(एम.एल.ए.)/2017 टी.सी. दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 द्वारा पूर्व स्वीकृत लागत ₹ **340.74** लाख को, प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि **₹399.48 लाख** से घटाते हुए, अतिरिक्त लागत ₹ **58.74** लाख में अवशेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। शासनादेश दिनांक 12.12.2017 केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

(ii) विषयगत कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासन एवं विभागीय स्तर पर समय–समय पर आहूत बैठक में लिये गये निर्णयों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iv) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(v) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(vi) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(vii) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(viii) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।

(ix) पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

3. उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सडक निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–0301 चालू निर्माण कार्य–53 वृहत निर्माण कार्य **(5054–04–800–03–01 से स्थानान्तरित)** की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।

4– **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या- 88/XXVII(2)/2020 दिनांक 17 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव

<u>संख्या–/690/III(2)/20-12(एम.एल.ए.)/2017TC तद्दिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम वृत्त, लो.नि.वि., नई टिहरी।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., नई टिहरी।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd
E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 755 / 20 याता0'क' / 2020 दिनांक–11 .09.2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 8 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी।
3. अधिशासी अभिन्यता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक / बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

10/9/2020
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
लो.नि.वि. देहरादून